कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

संख्याः 861/नाजिर सदर/2016 दिनॉकः– 07/10/2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

शासनादेश संख्या 1347/एक–5–2016–45/2016–टी0सी0, दिनांक 20.09.2016 के द्वारा जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर की अनावासीय भवनों का पुर्ननिर्माण कार्य कराये जाने के दृष्टिगत तहसील हसनपुर के निष्प्रोज्य/जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 व खण्ड–5 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट–2 (भवन), उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अधीन शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है। तद्नुक्रम में तहसील हसनपुर के निम्नलिखित भवनों की नीलामी की जानी है।

क्रम सं0	परियोजना का नाम	परियोजना के निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन	नीलामी हेतु प्रस्तावित मूल्य (रूपये में)	बिड की धरोहर धनराशि
1.	हसनपुर तहसील भवन का ध्वस्तीकरण कार्य	तहसील हसनपुर का मुख्य भवन जिसका निर्माण लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है।	8,88000.00	88,800.00
2.		तहसील हसनपुर के मुख्य भवन का आंशिक भाग (बी.आर.सी., स्वान कक्ष, रजिस्ट्रार कानूनगो व कम्प्यूटर कक्ष, नवीन अधिवक्ता चैम्बर–1 व 2, जैनरेटर कक्ष), जिसका निर्माण वर्ष 100 वर्ष से कम है तथा जिसकी औसत आयु 30 वर्ष मानकर गणना की गयी हैं	1,37,100.00	13,710.00
		कुल योग	10,25,100.00	1,02,510.00

बिड देने की शर्तें :–

1. धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार की जायेगी, जो जिलाधिकारी अमरोहा के नाम बन्धक हो।
2. ध्वस्तीकरण किये जाने वाले तहसील भवन स्थित कस्बा हसनपुर जनपद अमरोहा को किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है।
3. ध्वस्तीकरण किये जाने वाला भवन जहां पर है, जिस दशा में है, नीलाम तथा ध्वस्तीकरण हेतु हस्तगत किया जायेगा।
4. सीील्ड बिड खोलते समय बिड देने वाले व्यक्ति/फर्म के प्रोपराइटर अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. सीील्ड बिड देने वाले को चाहिए कि वह बिड देने से पूर्व सामग्री को साइट पर जाकर अच्छी प्रकार से देख लें। बिड देने के उपरान्त इस संबंध में बिडदाता की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
6. सीील्ड बिड खोलने पर अधिकतम बोलीदाता को अपनी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि उसी दिन तथा शेष धनराशि सक्षम अधिकारी से बिड स्वीकृत प्रपत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा जमा धनराशि (धरोहर राशि) जप्त कर राजकीय कोष के अन्दर जमा कर दी जायेगी। बिड खोलने पर अधिकतम बोलीदाता द्वारा बोली का 25 प्रतिशत राशि जमा न करने पर उसकी धरोहर राशि जप्त करते हुए द्वितीय अधिकतम बोलीदाता (बिडदाता) से 25 प्रतिशत राशि यदि बिड स्वीकार करने योग्य हो, उसी दिन जमा करायी जा सकती है अन्यथा उसी बोलीदाता (द्वितीय) अधिकतम बिडदाता की राशि भी जप्त की जा सकती है।
7. सक्षम अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि द्वितीय अधिकतम बिडदाता की बोली पर विचार करने हेतु उसको धरोहर राशि प्रथम बिडदाता द्वारा बिड की अवशेष राशि जबतक जमा नहीं कर ली जाती, वापस न कर शेष बिडदाताओं की जमानत राशि उन्हें वापस कर दी जायेगी।
8. किसी भी कार्यदायी संस्था के पंजीकृत ठेकेदारो से ही अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जायेगा।

9. सफल उच्चतम बिडदाता के द्वारा अन्तिम भुगतान कर दिये जाने के 15 दिन के भीतर निष्प्रोज्य सामग्री (स्क्रैप) को उठाना होगा अन्यथा स्वीकृत बोली मूल्य का 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त राशि क्षतिपूर्ति के रूप में सक्षम अधिकारी को लेने का अधिकार होगा।

10. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी बिड को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. बिड के साथ में बोलीदाता को पैनकार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति लगानी होगी तथा नीलामी दिवस पर मूल रूप में साथ लाना होगा।

12. निविदा प्रपत्र नाजिर सदर, कलैक्ट्रेट अमरोहा से निविदा प्रकाशन की तिथि के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में 500.00 रूपये बिड मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

13. निविदा को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से दिनांक 14.10.2016 को अपरांहन 2:00बजे तक सील्ड लिफाफे में किसी भी कार्यदिवस में नजारत अनुभाग में उपलब्ध बाक्स में डाला जा सकता है।

14. निविदाएं दिनांक 14.10.2016 को अपरांहन 4:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अमरोहा के कक्ष में गठित समिति एवं इच्छुक निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।

15. ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय संबंधित ठेकेदार प्रचलित सुरक्षा मानको का पालन करेगा जिससे जनसामान्य को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

16. नीलामी के लिए प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र में दिये गये विज्ञापन पर होने वाले व्यय का भुगतान का वहन जिस बोलीदाता के पक्ष में अवमुक्त किया जायेगा, उसी समय नकद धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

17. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शर्त अपरिहार्य हुई तो बिड खोलने से पूर्व समस्त निविदाताओं को अवगत करा दिया जायेगा, अथवा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जायेगा।

(एम0ए0अंसारी)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
अमरोहा।